(72)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट–रीवा

(म0प्र0) R.F. 301

R 5377-II/16

1. श्रीमती विमला देवी पति श्री प्रमोद कुमार तिवारी, उम्री 48 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम–बरहुला, सींगो टोला, तहसील–जवा, जिला–रीवा (म0प्र0)
2. श्री प्रमोद कुमार तिवारी तनय श्री संकठा प्रसाद तिवारी, उम्री 50 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम–बरहुला, सींगो टोला, तहसील–जवा, जिला–रीवा (म0प्र0)
3. श्री अभिषेक कुमार तिवारी तनय प्रमोद कुमार तिवारी, उम्री 20 वर्ष, पेशा अध्ययन, निवासी ग्राम–बरहुला, सींगो टोला, तहसील–जवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

------निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम्

1. श्री शंखमणि तिवारी तनय श्री आदित्य नारायण तिवारी, उम्र 68 वर्ष, पेशा–सेवानिवृत्त, निवासी ग्राम–बरहुला, सींगो टोला, तहसील–जवा, जिला–रीवा (म0प्र0)
2. श्री अशोक कुमार तिवारी तनय श्री शंखमणि तिवारी, उम्र 42 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी ग्राम–बरहुला, सींगो टोला, तहसील–जवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

श्री प्रवीण कुमार उपाध्याय एड. द्वारा पेश किया गया 26-8-2016 26.8.16

---------गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के राजस्व प्रकरण क्र. 367/अपील/14–15 आदेश दिनांक 12.08.2016 में जो अवैध आदेश पारित व प्रसारित किया गया.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5377–दो/16 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
13–9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार उपाध्याय उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 367/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.8.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहितां 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता कि वाद भूमि के भूमिस्वामी आवेदक का नाम खसरे में अंकित है। उक्त भूमि से रास्ता प्रचलित था इसलिये रास्ते का अवरोध हटाने हेतु तथा बंद रास्ते को खोले जाने हेतु तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन पेश किया गया था। तहसीलदार ने पटवारी से प्रतिवेदन लेकर रास्ते से अवरोध हटाये जाने का आदेश पारित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने पारित आदेश में यह लेख किया गया था कि अपीलांट के द्वारा प्रचलित रास्ते में आवागमन को अवरूद्व किया गया है इसलिये तहसीलदार तहसील त्योंथर जिला रीवा के आदेश को स्थिर रखा गया है। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा आदेश में विस्तृत विवेचना के तहत आदेश पारित किया गया	

है, इसलिये यहां दौहराने की आवश्यकता नहीं । अतएव उक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 29/अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 16.3.15 उचित होने से अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

3– परिणामस्वरूप अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 367/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.8.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य